

बेहतर पूंजी प्रवाह के लिये रज़िर्व बैंक ने नयिमों को तरकसंगत बनाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रज़िर्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वित्त वर्ष 2018 में पूंजी के बेहतर सीमा-पार प्रवाह की सुविधा के लिये उसने नयिमों को तरकसंगत बनाया है।

प्रमुख बन्दि

- रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश के भुगतान संतुलन के बारे में चिन्तित था क्योंकि बाहरी परस्थितियों में तनाव के संकेत 2017-18 में दिखाई देने लगे थे।
- इस रिपोर्ट में ऋण बाज़ार में वदिशी नधि प्रवाह को प्रोत्साहित करने और भारतीय कंपनियों के बाहरी वाणज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से प्रवाह बढ़ाने के लिये किये गए उपायों पर वसित चर्चा की गई है।
- यद्यपि आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि ये परिवर्तन बहुत प्रभावी नहीं हैं। जबकि ऋण परिवर्तन के संबंध में आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का अल्पकालिक प्रभाव पड़ा, नयिमों में परिवर्तन के बावजूद वित्त वर्ष 2018 में ईसीबी बहर्वाह जारी रहा।

उठाए गए प्रमुख कदम

- केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2018 में ऋण प्रतभूतियों में वदिशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा किये गए निवेश को नयितरति करने वाले नयिमों की समीक्षा की ताकि उन्हें निवेश करने के लिये और अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा सके, उपलब्ध वकिल्पो में वृद्धि की जा सके तथा उनके कार्यकाल और अवधिका प्रबंधन करना आसान हो सके।
- श्रेणी स्तर पर एफपीआई निवेश पर उच्चतम सीमा निर्धारित करना कुछ हद तक सुधारात्मक प्रयास था। उदाहरण के लिये, एफपीआई को कुल सरकारी प्रतभूतियों के बकाये का 5.5 प्रतशित, एसडीएल का 2 प्रतशित और कॉर्पोरेट बॉण्ड का 9 प्रतशित तक रखने की इजाज़त दी गई थी।
- सरकारी प्रतभूतियों और अन्य केंद्रीय सरकारी प्रतभूतियों में कुल एफपीआई निवेश पर बकाया शेयरो में 20 प्रतशित से 30 प्रतशित तक उच्चतम सीमा बढ़ाना ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बदलाव था।
- एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तीन साल से कम अवशेषित परपिक्वता वाले प्रतभूतियों में निवेश पर प्रतबिंध को हटाना था। वभिन्न उप-श्रेणियों को बंद करके और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश के लिये एक सीमा निर्धारित करके कॉर्पोरेट बॉण्ड की सीमा निर्धारित करना भी तरकसंगत था।
- आँकड़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन परिवर्तनों से वित्त वर्ष 2018 में देश में अधिक ऋण नधि प्रवाह को आकर्षित करने के लिये एक अल्पकालिक प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2017 में भारतीय ऋण से 7,292 करोड़ रुपए के शुद्ध बहर्वाह होने के बावजूद, वित्त वर्ष 2018 में प्रवाह 1,19,036 करोड़ रुपए के अंतरवाह के साथ उलट गया।
- हालाँकि, इन बदलावों का प्रभाव टिकाऊ नहीं है। क्योंकि, वित्त वर्ष 2019 में अब तक भारतीय ऋण उपकरणों से 35,673 करोड़ रुपए का बहर्वाह हुआ है। ऐसा भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में अधिक आक्रामक रुख अपनाए जाने, रुपये की कमज़ोरी और अमेरिकी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण हो सकता है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक ईसीबी के माध्यम से उठाए गए धन के बहर्वाह के बारे में भी स्पष्टतः चिन्तित है। 2014-15 में ईसीबी के माध्यम से देश में 1,570 मिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2016 में 4,529 मिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2017 में 6,102 मिलियन डॉलर का बहर्वाह हुआ।
- इसलिये केंद्रीय बैंक ने भारतीय बैंकों की वदिशी शाखाओं या सहायक कंपनियों को उच्च श्रेणी निर्धारण (एएए) वाले नगिमों के साथ-साथ नवरत्न और महारत्न जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति देकर इस बहर्वाह को नयितरति करने की कोशिश की है।
- ईसीबी ऋण की लागत, वदिशी मुद्राओं में एकत्र किये गए ईसीबी के लिये छह महीने में डॉलर लबोर के आधार पर 450 आधार अंकों पर सीमिति की गई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, बंदरगाह ट्रस्ट और रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल, एवं फ्रेट फॉरवर्डिंग में लगी कंपनियों को भी ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई थी।

बाहरी वाणज्यिक उधारी (ईसीबी) में गरिवाद

- आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप, ईसीबी के माध्यम से उठाए गए धन का बहर्वाह वित्त वर्ष 2018 में 183 मिलियन डॉलर हो गया।

- लेकनि ध्यान देने योग्य बात यह है कऱ अल्पकालकऱ वऱपार ःरण तेज़ी से बढ रहा है, जो वतऱत वरुष 2018 में लगभग दोगुना होकर 13.9 अरब डॉलर हो गया है । इस आँकडे की गहन नगरऱनी की आवश्यकता होगी कऱ्योंकऱ बढती वैश्वकऱ बऱज दरें और कमज़ोर रुपया ःरण शोधन को चुनौती देंगे ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-fire-fights-to-protect-capital-flows>

